निर्भया योजना (राज्य पोषित)

योजनान्तर्गत अपराध/हिंसा/दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं, किशोरियों एवं बालिकाओं को आवश्यक सहयोग एवं त्वरित कार्यवाही हेतु राज्य के समस्त जनपदों में निर्भया प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। निर्भया प्रकोष्ठ के तहत पीड़िताओं को निःशुल्क परामर्श एवं कानूनी सलाह प्रदान करने के साथ ही पुलिस से समन्वयन कर गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 'उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना 2013' में प्राविधानित प्रतिकार/क्षतिपूर्ति धनराशी से पीड़िताओं को लाभान्वित करने हेतु समन्वयन किया जाता है।